

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुरविविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 1577/2019

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा: क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, कचहरी चौक, रायपुर, जिला रायपुर, वाहन ट्रक पंजीयन क्रमांक UP-63-E-9039 का बीमाकर्ता

... अपीलार्थी (गण)

विरुद्ध

- 1- नामदास पिता बोंदू मारकंडे आयु लगभग 47 वर्ष
- 2- श्रीमती देवकी बाई पति नामदास मारकंडे आयु लगभग 42 वर्ष
सभी निवासी ग्राम गौरा चौक गढ़ीडीह, पोस्ट- कहरौद, थाना-कसडोल, जिला बलौदा बाजार भाटापारा छत्तीसगढ़। पिन कोड - 493332 (दावाकर्तागण)
- 3- अनिरुद्ध कुमार पिता भगवान प्रसाद चौबे आयु लगभग 32 वर्ष निवासी ग्राम - बघेड़ा, थाना - जिगना, जिला मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश), अपराध कारित करने वाले वाहन ट्रक पंजीयन क्रमांक UP-63 - E-9039 का चालक
- 4- भगवान प्रसाद पिता रामकिशोर चौबे निवासी ग्राम- बघेड़ा थाना जिगना, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश ट्रक पंजीयन क्रमांक UP-63-E-9039 का पंजीकृत स्वामी

... प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी (गण) की ओर से : श्री एच.पी. अग्रवाल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी क्रमांक 1 व 2 : श्री प्रवीण धुरंधर, अधिवक्ता

एकलपीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ प्रतीम साहू

बोर्ड पर निर्णय

11 /08/2025

1. यह अपील अपीलार्थी-बीमा कंपनी द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 (संक्षिप्त में "अधिनियम, 1988") की धारा 173 के अधीन विद्वान द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बलौदाबाजार



(छ.ग.) द्वारा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक एच-88/2017 में पारित दिनांक 27.03.2019 के अधिनिर्णय को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है।

2. इस अपील के निराकरण हेतु सुसंगत तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 और 2/दावाकर्तागण ने विद्वान दावा अधिकरण के समक्ष अधिनियम, 1988 की धारा 166 व 140 के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें यह अभिवचन किया गया था कि दिनांक 05.04.2017 को, लोकेश्वर मारकंडे कार क्रमांक UP-AH-0405 से बनारस जा रहे थे। दिनांक 06.04.2017 की सुबह, खटखारी मुख्य मार्ग पर, ट्रक जिसका पंजीयन क्रमांक UP-63-E-9039 था, के चालक ने ट्रक को तेज गति और लापरवाही पूर्वक चलाया तथा बिना कोई संकेत दिए अचानक ब्रेक लगा दिए। इससे एक दुर्घटना हुई, जिसमें कार में सवार एक यात्री की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। कार के चालक लोकेश्वर मारकंडे को सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं, जिनकी सिम्स अस्पताल, बिलासपुर में उपचार के दौरान दिनांक 09.04.2017 को मृत्यु हो गई। मोटर दुर्घटना में लोकेश्वर मारकंडे की असामयिक मृत्यु के कारण, दावाकर्तागण ने विभिन्न मदों के तहत कुल ₹29,18,000/- के प्रतिकर का दावा किया है।

3. अनावेदक क्रमांक 1 व 2 (चालक व स्वामी) ने अपना लिखित कथन प्रस्तुत करते हुए दावा आवेदन में किए गए अभिवचनों से इनकार किया और अन्य बातों के साथ-साथ यह भी अभिवचन किया कि उक्त दुर्घटना अनावेदक क्रमांक 1/चालक की उपेक्षा के कारण नहीं हुई। जब ट्रक खटखारी मुख्य मार्ग पर अपनी तरफ खड़ा था और चालक चाय-नाश्ता कर रहा था, उसी समय कार के चालक ने ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना के समय, ट्रक क्रमांक UP-63-E-9039 अनावेदक क्रमांक 3 के साथ बोमित था, इसलिए प्रतिकर की राशि, यदि कोई हो, का संदाय करने का दायित्व अनावेदक क्रमांक 3/बीमा कंपनी पर होगा।

4. अनावेदक क्रमांक 3/बीमा कंपनी ने भी अपना लिखित कथन प्रस्तुत करके दावे का विरोध किया और अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिवचन किया कि दुर्घटना की तारीख को, कार क्रमांक UP-65-AH-0405 के चालक ने अपनी कार तेज गति और उपेक्षापूर्वक चलाई और ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी, इसलिए यह घटना मृतक की स्वयं की उपेक्षा के कारण हुई। दुर्घटना दोनों वाहनों की टक्कर से हुई, जिसके लिए कार का चालक भी जिम्मेदार है। दावाकर्तागण को यदि कोई प्रतिकर दिया जाना हो तो सह-उपेक्षा के आधार पर अवधारित किया जाना चाहिए।

5. विद्वान दावा अधिकरण ने संबंधित पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर लाए गए अभिवचनों और साक्ष्यों की विवेचना पर यह पाया कि दुर्घटना की तारीख को, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा तेज गति और उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था, जिसके कारण एक दुर्घटना हुई, जिसमें लोकेश्वर मारकंडे को घातक चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई। मृतक की आय ₹7,500/- प्रति माह का आंकलन करते हुए, विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्रतिकर की राशि की गणना की गई और कुल ₹13,05,000/- का प्रतिकर अधिनिर्णित किया गया।



6. अपीलार्थी बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि विद्वान दावा अधिकरण यह विचार करने में त्रुटि की कि मृतक कार चालक, जिसने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन ट्रक को चलते समय पीछे से टक्कर मारी, यदि ऐसा हुआ भी था, तो वह दुर्घटना में सह-उपेक्षाकारी था। उन्होंने तर्क किया कि सड़क विनियम, 1989 (संक्षिप्त में "विनियम, 1989") के नियम 23 के अनुसार, आगे चल रहे वाहन से उचित दूरी बनाए रखना आवश्यक है और आगे चल रहे वाहन से दूरी बनाए रखने का दायित्व पीछे चल रहे वाहन के चालक पर होता है। उन्होंने तर्क किया कि चूंकि मृतक ने चल रहे ट्रक को पीछे से टक्कर मारी, और यह अभिवचन है कि दुर्घटना आगे चल रहे दुर्घटना कारित करने वाले वाहन ट्रक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने के कारण हुई, इसलिए यह माना जाना चाहिए था कि मृतक दुर्घटना में 50% की सीमा तक सह-उपेक्षाकारी था। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने **निशान सिंह व अन्य विरुद्ध ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य** (2018 एसीजे 1466) के निर्णय का अवलंब लिया। उन्होंने आगे तर्क किया कि विद्वान दावा अधिकरण ने अधिक प्रतिकर अधिनिर्णित करने में त्रुटि की। मृतक की आय ₹7,500/- आंकी गई है, जबकि दुर्घटना की तारीख को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी 'अकुशल श्रमिक' के लिए ₹6,506/- और 'कुशल श्रमिक' के लिए ₹6,648/- थी। यदि मृतक को 'कुशल श्रमिक' माना जाए, जैसा कि उसे चालक के रूप में कार्य करते हुए दिखाया गया था, तब भी ₹7,500/- आय का आकलन दुर्घटना की तारीख को प्रचलित आय से कहीं अधिक है। उन्होंने आगे तर्क किया कि मृतक अविवाहित था, फिर भी दावा अधिकरण ने उसके व्यक्तिगत और जीवन निर्वाह व्यय के लिए 1/3 की कटौती की, दावाकर्तागण को प्रेम और स्नेह के लिए प्रत्येक को ₹1,00,000/- और अंतिम संस्कार के व्यय के लिए ₹25,000/- अधिनिर्णित किया। उन्होंने तर्क किया कि उपरोक्त के दृष्टिगत, प्रतिकर की राशि की पुनर्गणना की जाए एवं तदनुसार कम किया जाए।

7. प्रत्यर्थी क्रमांक 1 और 2/दावाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध किया और तर्क किया कि नामदास मारकंडे आ.सा.1 का साक्ष्य, जिस पर अपीलार्थी बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने अवलंब लिया है, वह मृतक के पिता हैं जो दुर्घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और इसलिए दुर्घटना की प्रकृति को साबित करने के लिए उनका साक्ष्य का अधिक महत्व नहीं होगा। नवीन राठौर आ.सा.2 का साक्ष्य, जो दुर्घटना का एक चक्षुदर्शी साक्षी है, प्रकरण के तथ्यों में दुर्घटना के कारणों और तरीके को साबित करने के लिए सुसंगत है। आ.सा.2 ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन ट्रक ने कार को ओवरटेक किया और अचानक उसके सामने आ गया, जिसके परिणामस्वरूप कार की ट्रक के पिछले हिस्से से टक्कर हुई और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मृतक दुर्घटना के लिए 50% की सीमा तक उपेक्षाकारी था और इसलिए इस सीमा तक अपीलार्थी बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क संधारणीय नहीं है। उन्होंने आगे तर्क किया कि उन्होंने भी प्रतिकर की राशि में वृद्धि की मांग करते हुए प्रत्याक्षेप प्रस्तुत किया है, इस आधार पर कि विद्वान दावा अधिकरण ने ₹7,500/- की कम आय



का आकलन किया, यह दृष्टिगत रखते हुए कि मृतक दुर्घटना की तारीख को चालक के रूप में कार्यरत था, कार चलाते समय दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी आय ₹15,000/- प्रति माह थी, जो अभिलेख पर प्रस्तुत अभिवचनों और साक्ष्यों को अनदेखा करता है। उन्होंने आगे तर्क किया कि दावा अधिकरण ने भविष्य की संभावनाओं के मद में कोई प्रतिकर अधिनिर्णित नहीं किया है और ब्याज का अधिनिर्णय भी कम है। संपदा की हानि के मद में भी कोई प्रतिकर अधिनिर्णित नहीं किया गया है। उन्होंने तर्क किया कि प्रतिकर की राशि की पुनर्गणना की जाए और उसमें उपयुक्त वृद्धि की जाए।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और दावा प्रकरण के अभिलेख का भी परिशीलन किया है।

9. अपीलार्थी बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता का पहला तर्क कि दावा अधिकरण ने मृतक को दुर्घटना में सह-उपेक्षा न मानने में त्रुटि की है, इस संबंध में आक्षेपित अधिनिर्णय का परिशीलन करने पर यह ज्ञात होता है कि विद्वान दावा अधिकरण ने इस संबंध में कोई भी विशिष्ट विवाद्यक विरचित नहीं किया है।

10. विद्वान दावा अधिकरण के आदेश-पत्रों का परिशीलन करने से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलार्थी बीमा कंपनी ने अपने उत्तर में किए गए अभिवचन के दृष्टिगत सह-उपेक्षा के विवाद्यक को विरचित कराने का कोई प्रयास नहीं किया। बीमा कंपनी द्वारा दावा अधिकरण के समक्ष "सह-उपेक्षा" पर विवाद्यक विरचित कराने के लिए कोई कदम न उठाए जाने के अभाव में, इस न्यायालय के अभिमत में, अपीलार्थी बीमा कंपनी के अधिवक्ता को अपील में इस न्यायालय के समक्ष उक्त आधार उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने *एम. नित्या व अन्य विरुद्ध एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड* [एसएलपी (सिविल) क्रमांक 833-834/2023, दिनांक 3 जनवरी 2025 को निर्णित] के प्रकरण में, दावा अधिकरण के समक्ष 'सह-उपेक्षा' पर विवाद्यक विरचित न करने के प्रकरण का निराकरण करते हुए, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

“7. यह अवधारित करना सुसंगत है कि अधिकरण ने उल्लेख किया कि बीमा कंपनी ने अपने प्रति-कथन में यह तर्क किया है कि मृतक की ओर से सह-उपेक्षा तय की जानी चाहिए। यद्यपि, अधिकरण ने इस संबंध में अवधारित करने हेतु कोई विशिष्ट विवाद्यक विरचित नहीं किया। अधिकरण स्पष्ट रूप से केवल लॉरी के चालक की ओर से उपेक्षा पाता है और इसलिए, लॉरी के स्वामी और उक्त लॉरी का बीमा करने वाली बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से और पृथक रूप से प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी पाया जाता है। इसलिए, जब अधिकरण ने सह-उपेक्षा पर विवाद्यक भी विरचित नहीं किया, तो उच्च न्यायालय को अधिनिर्णित प्रतिकर को कम करने के लिए उस तर्क पर विचार नहीं करना चाहिए था। यहां तक कि बीमा कंपनी ने इस पहलू पर कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया और न ही विवाद्यक



विरचित कराने पर बल दिया। मात्र अपने प्रति-शपथ पत्र में एक निराधार दावा करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। अतः, हम अधिकरण के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि दुर्घटना केवल लॉरी के चालक की उपेक्षा के कारण हुई थी और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा मृतक की ओर से अधिनिर्णित सह-उपेक्षा त्रुटिपूर्ण है और इसे यथावत नहीं रखा जा सकता।”

12. उपरोक्त विश्लेषण और संदर्भित निर्णय के आधार पर, मैं अपीलार्थी-बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को स्वीकार करने का इच्छुक नहीं हूँ कि विद्वान दावा अधिकरण ने मृतक की ओर से सह-उपेक्षा के पहलू पर विचार न करके त्रुटि की है। तदनुसार, उक्त तर्क अस्वीकार किया जाता है।

13. जहाँ तक आय के आकलन और प्रतिकर की अधिनिर्णित राशि के संबंध में उभयपक्ष द्वारा उठाए गए आधार का प्रश्न है, अपीलार्थी बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मृतक की ₹7,500/- प्रति माह आय का आकलन प्रचलित मजदूरी दर से कहीं अधिक है और इसके अतिरिक्त प्रति-अपील में दावाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि कार चालक के रूप में मृतक के व्यवसाय की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए ₹7,500/- मासिक आय का आकलन कम है, इस संबंध में अभिलेख का परिशीलन करने पर यह ज्ञात होता है कि दावाकर्ता मृतक की आय साबित करने में सक्षम नहीं थे, यद्यपि मृतक का व्यवसाय वाहन चालक होना साबित होता है क्योंकि कार चलाते समय ही उसकी दुर्घटना हुई थी। वह वाराणसी के लिए यात्रियों को ले जा रहा था, जो शायद शोकाकुल परिवार के सदस्य या नातेदार रहे होंगे, और शव को उसके पीछे चल रही दूसरी कार में ले जाया जा रहा था। प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों में, मृतक के व्यवसाय को 'कुशल श्रमिक' माना जा सकता है और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 'कुशल श्रमिक' के लिए दिनांक 01.04.2017 से 30.09.2017 की अवधि के लिए मजदूरी ₹10,530/- प्रति माह निर्धारित की गई थी, और इसलिए, दुर्घटना की तारीख अर्थात् 06.04.2017 को आय के विशिष्ट प्रमाण के अभाव में, मैं मृतक की आय को ₹10,530/- प्रति माह आंकना उचित पाता हूँ।

14. विद्वान दावा अधिकरण ने 'भविष्य की संभावनाओं' के मद में कोई राशि अधिनिर्णित नहीं की है। **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी व अन्य** [(2017) 16 एससीसी 680] के प्रकरण के निर्णय के अनुसार, मृतक जो स्थायी नियोजन में नहीं था और 40 वर्ष से कम आयु का था, उसकी आकलित आय में भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% की वृद्धि की जाएगी। तदनुसार आदेशित किया जाता है।

15. विद्वान अधिकरण ने व्यक्तिगत और जीवन निर्वाह व्यय के लिए 1/3 की कटौती लागू की है। वर्तमान प्रकरण में, यह निर्विवाद है कि मृतक अविवाहित व्यक्ति था और कोई अन्य आश्रित भाई-बहन नहीं हैं, इसलिए, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सरला वर्मा (श्रीमती) व अन्य विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम व एक अन्य** [(2009) 6 एससीसी 121] के प्रकरण में प्रतिपादित विधि के अनुसार, मृतक के व्यक्तिगत



और जीवन निर्वाह व्यय के लिए $1/2$ की कटौती की जाएगी और इसलिए प्रकरण के तथ्यों में उपयुक्त कटौती, दावा अधिकरण द्वारा लागू $1/3$ के बजाय $1/2$ होगी। तदनुसार आदेशित किया जाता है।

16. विद्वान दावा अधिकरण द्वारा लागू किया गया 18 का गुणक उचित एवं न्यायसंगत है। विद्वान दावा अधिकरण ने 'अंतिम संस्कार व्यय' के लिए आगे ₹25,000/- अधिनिर्णित किए हैं जो अधिक है। अन्य पारंपरिक मदों के अन्तर्गत प्रतिकर का अधिनिर्णयन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **प्रणय सेठी** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में निर्दिष्ट और परिमाणित किया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दावाकर्तागण को 'अंतिम संस्कार व्यय' के लिए ₹15,000/-, 'संपदा की हानि' के लिए ₹15,000/-, और 'साहचर्य की हानि' के लिए प्रत्येक को ₹40,000/- अधिनिर्णित किए जाएंगे। साहचर्य की हानि को आगे 'पति/पत्नी साहचर्य की हानि', 'माता-पिता साहचर्य की हानि' और 'संतान साहचर्य की हानि' के रूप में वर्गीकृत और समझाया गया है। दावाकर्ता माता-पिता होने के नाते, प्रत्येक ₹40,000/- के संतान साहचर्य की हानि के हकदार हैं।

17. दावा अधिकरण ने 'प्रेम और स्नेह की हानि और साहचर्य' के लिए प्रत्येक को ₹1,00,000/- अधिनिर्णित करने में त्रुटि की है। चूंकि दावाकर्तागण को संतान साहचर्य की हानि के लिए हकदार माना गया है, इसलिए 'प्रेम और स्नेह की हानि' का प्रतिकर 'साहचर्य की हानि' के अन्तर्गत अधिनिर्णित प्रतिकर में समाहित हो जाता है, और इसलिए दावाकर्ता विद्वान दावा अधिकरण द्वारा 'प्रेम और स्नेह की हानि' के अन्तर्गत अधिनिर्णित प्रतिकर के हकदार नहीं होंगे।

18. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, मैं प्रतिकर की राशि की पुनर्गणना करना उचित पाता हूँ, जो निम्नानुसार है:-

1.	आय/आश्रितता की हानि	:	रु. 15,92,136
	(A) आय $10530 \times 12 = 126360$ (B) भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% की वृद्धि ($126360 \times 40\% = 50544$) $126360 + 50544 = 1,76,904$ (C) व्यक्तिगत और जीवन निर्वाह व्यय हेतु ($1,76,904 \times 1/2 = 88452$) $1,76,904 - 88452 = 88,452$ (D) 18 का गुणन $88,452 \times 18 = 15,92,136$:	
2.	अंतिम संस्कार व्यय	:	(+) रु. 15,000
3.	संपदा की हानि	:	(+) रु. 15,000
4.	संतान साहचर्य की हानि के लिए प्रत्येक को Rs.40,000/- ($40,000 \times 2 = 80,000$)	:	(+) रु. 80,000



	कुल प्रतिकर	:	रु. 17,02,136

19. अब प्रत्यर्थी क्रमांक 1 व 2/दावाकर्तागण को दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णित ₹13,05,000/- के बजाय कुल ₹17,02,136/- का प्रतिकर अधिनिर्णित किया जाता है।

20. प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि पर दावा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से लेकर इसके वास्तविक संदाय तक 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा। दावाकर्तागण को पहले से संदाय की गई प्रतिकर की कोई भी राशि, इस न्यायालय द्वारा अब गणना की गई और अधिनिर्णित कुल प्रतिकर की राशि में से समायोज्य होगी। आक्षेपित अधिनिर्णय की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

21. फलस्वरूप, अपीलार्थी-बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा प्रत्यर्थी क्रमांक 1 व 2/ दावाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रत्याक्षेप दोनों आंशिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। आक्षेपित अधिनिर्णय को उपर्युक्त दर्शित सीमा तक संशोधित किया जाता है।



सही/-

(पार्थ प्रतीम साहू)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।